(2008) 2 S.C.R. 676

राकेश

बनाम

एम. पी. राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 287)

11 फरवरी, 2008

डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जे.जे.)

दण्ड संहिता, 1860; धारा 34, 300 और 302; धारा 300 का अपवाद 1 और 4:

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध- अभियुक्तगण और मृतक के बीच झगड़ा- अभियुक्त ने मृतक के शरीर पर चोटें पहुंचाई- मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया- प्र. सू. रि.- अन्वेषण - पुलिस द्वारा चार अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का अपराध कारित करने पर आरोप पत्र पेश किया गया-

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.सं. का दण्डनीय अपराध कारित करने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया- अपीलार्थी की दोषसिद्धि यथावत बनाए रखते हुए, अन्य अभियुक्त की दोषसिद्धि उच्च न्यायालय ने परिवर्तित की शुद्धता- निर्णितः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त की दोषसिद्धि को भी धारा 304 भाग I भा.द.सं. में परिवर्तित कर दिया गया दण्डादेश को हटाकर दस साल

किया गया-दण्डादेश कम की गई। धारा 300 भा.द.सं. का अपवाद 1 और 4 के बीच अंतर।

शब्द और वाक्यांशः 'अचानक लड़ाई' - धारा 300 या भा.द.सं. के अपवाद 4 के संदर्भ का अर्थ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता के भाई और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के भाई पर हमला किया। जब शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने शोर मचाया तो अभियुक्त व्यक्ति भाग गए।

घायल हालत में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस पर दर्ज की गई सूचना के आधार पर, पुलिस ने अन्वेषण किया और अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.सं. का दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील में, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि में परिवर्तन किया गया था लेकिन अभियुक्त - अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया।

अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि साक्ष्य से उसका दोष स्थापित नहीं होता है; कि भले ही अभियोजन पक्ष को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, अपराध अन्तर्गत धारा

302 भा.द.सं. नहीं बनता है, और चूंकि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुई, धारा 300 भा.द.सं. का अपवाद 4 लागू होगा।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्णित किया:

1.1 भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि कार्य बिना किसी पूर्व चिंतन के किया गया था, अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रथिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। (परिच्छेद-6) (681-क, ख)

1.2 अचानक लड़ाई में किए गए कार्य भा.द.सं. की धारा 300 के चैथे अपवाद में सम्मिलित है। उक्त अपवाद अभियोजन के उस मामले से संबंधित है जो प्रथम अपराध के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। उक्त अपराध इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्व-चिंतन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामलों में आत्मसंयम का पूर्ण वचन है, अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की वह तीव्रता है जो पुरुषों के संयमित विवेक को प्रभावित कर देती है और अकर्मों के लिए प्रवृत्त करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। वहां अपवाद 4 में प्रकोपन है जैसे कि अपवाद 1 में है; लेकिन कारित की गई चोट प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। (परिच्छेद-7) (681- ख, ग, घ)

1.3 वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इसके बावजूद की एक ..... किया गया हो, या विवाद के प्रारंभ में प्रकोपन दिया गया हो या चाहे किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का पश्चात् का आचरण उन्हें दोष के संबंध में बराबर रखता है। एक ''अचानक लड़ाई'' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर वार। मानवध तब स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए नहीं माना जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ लगाया जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अपवाद 1 अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद होगा। (परिच्छेद-7) (681- घ, ड., च)

1.4 धारा 300 के अपवाद 4 के भीतर मामला लाने के लिए इसमें उल्लेखित समस्त सामग्री होनी चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि अपवाद 4 में होने वाली ''लड़ाई'' भा.द.सं. की धारा 300 में परिभाषित नहीं है। लड़ाई दो व्यक्तियों द्वारा की जाती है। आवेश की तीव्रता के लिए आवश्यक है कि आवेश को शांत होने के लिए समय ही ना हो और इस मामले में, प्रारंभ में मौखिक कहा-सुनी के कारण दलों ने खुद को रोष में डाल दिया। लड़ाई दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हथियारों के साथ या उसके बिना किया गया ..... है। किसी भी सामान्य नियम को प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के साबित होने पर निर्भर करता है। (परिच्छेद-7) (682-क, ख, ग)

1.5 अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दर्शाना पयाप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। इसके आगे यह दर्शाना होगा कि अपराधी द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है या क्रूरतापूर्ण या अप्राथिक रीति से कार्य नहीं किया गया है। प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति ‘‘अनुचित लाभ‘‘ का अर्थ है ‘‘अन्यायपूर्ण लाभ‘‘। (परिच्छेद-7) (682- ग, घ)

संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र (2006)4 एस.सी.सी. 653 और थांकाचन और अन्य बनाम केरल राज्य (2007)11 एस.सी.आर. 1128- पर आश्रित था।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन रत्नू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।